

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-747

जिसका उत्तर 21 नवंबर, 2019 को दिया जाना है।

राज्यों को विद्युत आवंटन

747. श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ:

डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास केन्द्रीय विद्युत उत्पादन संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत की कुल मात्रा का कोई ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन संयंत्रों से प्रत्येक राज्य को किए गए विद्युत आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उन राज्यों के लिए कोटा बढ़ाना चाहेगी जहां आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) : देश में पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष अर्थात् 2016-17 से 2019-20 (अक्टूबर, 2019 तक) के दौरान केन्द्रीय उत्पादक स्टेशनों द्वारा ईंधन स्रोत (थर्मल, हाइड्रो तथा न्यूक्लियर) से 25 मेगावाट एवं उससे अधिक विद्युत उत्पादन का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। वर्ष 2018-19 तथा चालू वर्ष 2019-20 (सितम्बर, 2019) तक के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में उपलब्ध केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन आंकड़ों का ब्यौरा भी **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ख) : केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को विद्युत के आवंटन का पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2016-17 (31.03.2017 के अनुसार), 2017-18 (31.03.2018 के अनुसार) और 2018-19 (31.03.2019 के अनुसार) का ब्यौरा क्रमशः **अनुबंध-III, IV और V** में दिया गया है।

(ग) और (घ): राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकता एवं अनुरोध की स्थिति में, भारत सरकार/विद्युत मंत्रालय समग्र उपलब्धता एवं विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों के अनाबंटित कोटे से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत के आबंटन में वृद्धि करने पर विचार करता रहा है।

वर्ष 2019-20 (अक्टूबर, 2019 तक) पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, असम तथा जम्मू एवं कश्मीर से विद्युत के अतिरिक्त आबंटन के अनुरोध प्राप्त हुए हैं और चण्डीगढ़ से आबंटन कम करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। इस संबंध में ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

- (i) जून, 2019 में, पुडुचेरी ने 01.07.2019 से दक्षिणी क्षेत्र के केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों के अनाबंटित कोटे से अपने 40 मेगावाट के आबंटन को जारी रखने का अनुरोध किया था। तदनुसार, इसकी अनुमति दे दी गई थी।
- (ii) अगस्त, 2019 में, आंध्र प्रदेश ने माह सितम्बर, 2019 के लिए 1000 मेगावाट के अतिरिक्त विद्युत आबंटन हेतु अनुरोध किया था और इसे उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्रों के केन्द्रीय उत्पादक स्टेशनों में अन्य राज्यों के अभ्यर्पित हिस्से से आबंटित किया गया था।
- (iii) असम ने अक्टूबर, 2019 में 65 मेगावाट के आबंटन हेतु अनुरोध किया था और यह सिफारिश की गई थी कि यदि असम अपनी सहमति दे तो एनटीपीसी के केन्द्रीय उत्पादक स्टेशनों में अन्य राज्यों के अभ्यर्पित हिस्से से इसके आबंटन हेतु विचार किया जा सकता है।
- (iv) अक्टूबर, 2019 में जम्मू एवं कश्मीर ने सर्दी के महीनों के लिए विद्युत का आबंटन बढ़ाने हेतु अनुरोध किया। जम्मू एवं कश्मीर को उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पादक स्टेशनों के अनाबंटित कोटे से आबंटन सर्दी के महीनों के लिए उत्तरी क्षेत्र के अनाबंटित विद्युत के 30% से बढ़ाकर 78% कर दिया गया है।
- (v) चण्डीगढ़ ने अक्टूबर, 2019 में उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पादक स्टेशनों के अनाबंटित कोटे से उनके आबंटन को 14% से घटाकर 9% करने का अनुरोध किया था और इसे प्रभावी कर दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 21.11.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 747 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अक्टूबर, 2019 तक पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों के उत्पादन का ब्यौरा

| स्टेशन का नाम | ईंधन | *31.10.2019 की स्थिति के अनुसार निगरानी की गई क्षमता मेगावाट | उत्पादन (एमयू) | | | |
|---------------------------|---------------|--|----------------|----------|----------|-----------------------------|
| | | | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | *2019-20 (अक्टूबर, 2019 तक) |
| बदरपुर टीपीएस | कोयला | 0.00 | 1704.85 | 1556.97 | 1400.33 | 0.00 |
| बरोनी टीपीएस | कोयला | 710.00 | - | - | 44.85 | 80.25 |
| बाढ़-II | कोयला | 1320.00 | 7642.01 | 9272.35 | 9845.23 | 5749.11 |
| भिलाई टीपीएस | कोयला | 500.00 | 3651.19 | 3877.77 | 3426.23 | 1742.18 |
| बोकारो 'बी' टीपीएस | कोयला | 210.00 | 1456.68 | 573.94 | 688.44 | 94.03 |
| बोकारो टीपीएस 'ए' एक्सपै. | कोयला | 500.00 | 208.00 | 2924.25 | 2920.75 | 1523.32 |
| बोंगाईगांव टीपीपी | कोयला | 750.00 | 1680.27 | 1732.17 | 2824.21 | 2197.67 |
| चंद्रपुर (डीवीसी) टीपीएस | कोयला | 630.00 | 5642.70 | 4075.82 | 3560.59 | 1978.61 |
| दादरी (एनसीटीपीपी) | कोयला | 1820.00 | 8765.46 | 9933.39 | 10533.54 | 4608.69 |
| दुर्गापुर स्टील टीपीएस | कोयला | 1000.00 | 6655.77 | 6503.85 | 6293.54 | 3613.01 |
| दुर्गापुर टीपीएस | कोयला | 210.00 | 592.72 | 947.10 | 981.28 | 218.33 |
| फरक्का एसटीपीएस | कोयला | 2100.00 | 13743.98 | 13356.91 | 14846.44 | 7534.09 |
| गदरवारा टीपीपी | कोयला | 800.00 | - | - | 0.00 | 623.06 |
| इंदिरा गांधी एसटीपीपी | कोयला | 1500.00 | 5473.77 | 7734.53 | 7387.28 | 2260.28 |
| कहलगांव टीपीएस | कोयला | 2340.00 | 15947.93 | 16316.65 | 16485.91 | 9492.38 |
| खरगोन एसटीपीपी | कोयला | 660.00 | - | - | - | 198.89 |
| कोडरमा टीपीपी | कोयला | 1000.00 | 3801.77 | 5911.30 | 6278.75 | 3896.15 |
| कोरबा एसटीपीएस | कोयला | 2600.00 | 20364.88 | 20477.94 | 20083.42 | 11190.80 |
| कुडगी एसटीपीपी | कोयला | 2400.00 | 25.49 | 3945.19 | 7566.33 | 2148.74 |
| लारा टीपीपी | कोयला | 800.00 | - | 0.00 | 262.91 | 733.01 |
| मौदा टीपीएस | कोयला | 2320.00 | 4305.65 | 7971.14 | 11878.13 | 6575.80 |
| मेजा एसटीपीपी | कोयला | 660.00 | - | 8.22 | 69.61 | 1050.67 |
| मेजिया टीपीएस | कोयला | 2340.00 | 12936.78 | 12478.48 | 12744.35 | 7600.02 |
| मुजफ्फरपुर टीपीएस | कोयला | 610.00 | 793.49 | 1750.61 | 3039.78 | 1893.93 |
| नबी नगर टीपीपी | कोयला | 750.00 | 0.00 | 1060.94 | 2754.75 | 2566.82 |
| नबीनगर एसटीपीपी | कोयला | 660.00 | - | 0.00 | 0.00 | 344.05 |
| पतरातु टीपीएस | कोयला | - | 385.88 | 0.00 | 0.00 | - |
| रघुनाथपुर टीपीपी | कोयला | 1200.00 | 2016.51 | 2279.47 | 3208.40 | 3141.69 |
| रामगुंडम एसटीपीएस | कोयला | 2600.00 | 19597.52 | 18867.65 | 18547.91 | 10266.50 |
| रिहंद एसटीपीएस | कोयला | 3000.00 | 21959.62 | 23530.54 | 22686.80 | 13429.54 |
| सिम्हाद्री | कोयला | 2000.00 | 14173.49 | 11773.71 | 12449.08 | 5880.28 |
| सिंगरौली एसटीपीएस | कोयला | 2000.00 | 15219.06 | 14781.83 | 14798.21 | 8863.48 |
| सीपत एसटीपीएस | कोयला | 2980.00 | 23778.93 | 23009.82 | 23907.12 | 12173.74 |
| सोलापुर | कोयला | 1320.00 | 0.00 | 1397.56 | 1783.67 | 661.36 |
| तालचर (ओल्ड) टीपीएस | कोयला | 460.00 | 3759.53 | 3780.71 | 3606.84 | 1889.31 |
| तालचर एसटीपीएस | कोयला | 3000.00 | 22847.48 | 22976.99 | 21242.30 | 10457.50 |
| टांडा टीपीएस | कोयला | 1100.00 | 3241.42 | 3277.98 | 2371.80 | 1591.86 |
| तूतीकोरिन (जेवी) टीपीपी | कोयला | 1000.00 | 6252.04 | 5412.83 | 5486.62 | 2237.80 |
| ऊंचाहार टीपीएस | कोयला | 1550.00 | 6993.65 | 7092.48 | 7241.00 | 5229.38 |
| वल्लूर टीपीपी | कोयला | 1500.00 | 9210.86 | 7167.72 | 7706.87 | 3180.91 |
| विंध्याचल एसटीपीएस | कोयला | 4760.00 | 32206.94 | 37495.73 | 37539.00 | 20817.60 |
| बरसिंगसर लिग्नाइट | लिग्नाइट | 250.00 | 1463.25 | 1648.81 | 1357.10 | 848.28 |
| नैवेली (एक्सपै.) टीपीएस | लिग्नाइट | 420.00 | 3328.33 | 3247.15 | 2949.65 | 1879.88 |
| नैवेली टीपीएस-I | लिग्नाइट | 500.00 | 3696.52 | 3379.73 | 3105.90 | 1686.08 |
| नैवेली टीपीएस-II | लिग्नाइट | 1470.00 | 11052.08 | 10262.56 | 10744.54 | 5885.70 |
| नैवेली टीपीएस-II एक्सपै. | लिग्नाइट | 500.00 | 1373.25 | 2009.90 | 1931.31 | 998.10 |
| अगरतला जीटी | प्राकृतिक गैस | 135.00 | 904.58 | 688.27 | 650.63 | 414.77 |
| अंता सीसीपीपी | प्राकृतिक गैस | 419.33 | 695.18 | 450.94 | 550.65 | 270.50 |
| औरैया सीसीपीपी | प्राकृतिक गैस | 663.36 | 535.67 | 376.97 | 544.96 | 305.20 |
| दादरी सीसीपीपी | प्राकृतिक गैस | 829.78 | 2236.96 | 1627.81 | 1661.51 | 1232.27 |
| फरीदाबाद सीसीपीपी | प्राकृतिक गैस | 431.59 | 1034.05 | 837.38 | 597.09 | 209.65 |
| गांधार सीसीपीपी | प्राकृतिक गैस | 657.39 | 2358.82 | 3111.93 | 1573.91 | 341.19 |
| कथलगुड़ी सीसीपीपी | प्राकृतिक गैस | 291.00 | 1572.63 | 1598.25 | 1639.49 | 944.87 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| कवास सीसीपीपी | प्राकृतिक गैस | 656.20 | 1718.18 | 2405.90 | 2499.39 | 996.92 |
| मोनार्चक सीसीपीपी | प्राकृतिक गैस | 101.00 | 172.05 | 671.53 | 681.27 | 396.42 |
| रत्नागिरी सीसीपीपी | प्राकृतिक गैस | 1967.08 | - | 4501.03 | 4465.63 | 2538.04 |
| रत्नागिरी सीसीपीपी-II | प्राकृतिक गैस | - | 2438.41 | - | - | - |
| रत्नागिरी सीसीपीपी-III | प्राकृतिक गैस | - | 2119.31 | - | - | - |
| त्रिपुरा सीसीपीपी | प्राकृतिक गैस | 726.60 | 4173.07 | 4053.16 | 4711.38 | 2767.23 |
| डीएई (राजस्थान) | न्यूक्लियर | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कैगा | न्यूक्लियर | 880.00 | 6533.49 | 7533.41 | 7216.53 | 4247.86 |
| काकरापारा | न्यूक्लियर | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 999.93 | 1915.44 |
| कुडनकुलम | न्यूक्लियर | 2000.00 | 6466.02 | 8718.54 | 6142.61 | 6763.37 |
| मद्रास ए.पी.एस. | न्यूक्लियर | 440.00 | 3204.67 | 2975.74 | 1490.93 | 1080.31 |
| नरौरा ए.पी.एस. | न्यूक्लियर | 440.00 | 3378.89 | 3636.38 | 3161.89 | 2171.86 |
| राजस्थान ए.पी.एस. | न्यूक्लियर | 1080.00 | 7472.60 | 8605.80 | 8034.28 | 5082.67 |
| तारापुर | न्यूक्लियर | 1400.00 | 10860.20 | 6876.25 | 10766.42 | 6933.60 |
| बैरा सिडल एचपीएस | हाइड्रो | 180.00 | 669.33 | 641.73 | 366.67 | 156.78 |
| भाखड़ा एचपीएस | हाइड्रो | - | 5168.27 | 5134.02 | - | - |
| भाखड़ा लेफ्ट एचपीएस | हाइड्रो | 594.00 | - | - | 2248.69 | 1848.61 |
| भाखड़ा राइट एचपीएस | हाइड्रो | 785.00 | - | - | 1989.50 | 2529.89 |
| चमेरा-I एचपीएस | हाइड्रो | 540.00 | 2224.39 | 2344.08 | 2484.56 | 2135.77 |
| चमेरा-II एचपीएस | हाइड्रो | 300.00 | 1443.93 | 1487.11 | 1508.02 | 994.80 |
| चमेरा-III एचपीएस | हाइड्रो | 231.00 | 917.09 | 1068.05 | 1043.42 | 907.79 |
| चूटक एचपीएस | हाइड्रो | 44.00 | 44.12 | 45.72 | 48.96 | 74.22 |
| देहार एचपीएस | हाइड्रो | 990.00 | 3184.68 | 3086.24 | 3226.30 | 2739.66 |
| धौलीगंगा एचपीएस | हाइड्रो | 280.00 | 956.13 | 1153.16 | 1106.21 | 1130.93 |
| दोयांग एचपीएस | हाइड्रो | 75.00 | 258.94 | 274.39 | 231.47 | 129.15 |
| दुलहस्ती एचपीएस | हाइड्रो | 390.00 | 2280.02 | 2343.86 | 2273.38 | 1515.32 |
| गंगुवाल एचपीएस | हाइड्रो | 77.65 | 416.54 | 494.09 | 599.37 | 359.78 |
| इंदिरा सागर एचपीएस | हाइड्रो | 1000.00 | 3320.79 | 881.76 | 1308.79 | 1955.71 |
| खोंडोंग एचपीएस | हाइड्रो | 50.00 | 197.10 | 260.77 | 203.82 | 152.39 |
| किशनगंगा एचपीएस | हाइड्रो | 330.00 | 0.00 | 1.68 | 529.25 | 712.47 |
| कोलडेम | हाइड्रो | 800.00 | 3225.16 | 3313.62 | 3013.93 | 2953.26 |
| कोपिली एचपीएस | हाइड्रो | 200.00 | 1088.27 | 1172.83 | 1117.82 | 717.16 |
| कोटेश्वर एचपीएस | हाइड्रो | 400.00 | 1224.55 | 1220.33 | 1223.84 | 748.62 |
| कोटला एचपीएस | हाइड्रो | 77.65 | 430.58 | 508.22 | 609.60 | 367.92 |
| लोकटक एचपीएस | हाइड्रो | 105.00 | 741.07 | 837.74 | 602.61 | 222.86 |
| मैथॉन एचपीएस | हाइड्रो | 63.20 | 122.03 | 114.41 | 101.36 | 53.75 |
| नाथपा झाकड़ी एचपीएस | हाइड्रो | 1500.00 | 7050.64 | 7207.73 | 6507.15 | 6255.19 |
| निम्मो बाजगो एचपीएस | हाइड्रो | 45.00 | 95.21 | 98.83 | 105.55 | 102.62 |
| ऑंकारेश्वर एचपीएस | हाइड्रो | 520.00 | 1427.70 | 443.60 | 612.04 | 828.43 |
| पंचेट एचपीएस | हाइड्रो | 80.00 | 133.51 | 141.94 | 79.79 | 84.61 |
| पारबती-III एचपीएस | हाइड्रो | 520.00 | 682.48 | 710.53 | 608.30 | 611.10 |
| पारे | हाइड्रो | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 347.16 | 379.02 |
| पोंग एचपीएस | हाइड्रो | 396.00 | 1369.93 | 1641.57 | 1512.56 | 840.20 |
| रामपुर एचपीएस | हाइड्रो | 412.02 | 1960.42 | 2015.00 | 1828.76 | 1749.96 |
| रंगानदी एचपीएस | हाइड्रो | 405.00 | 1249.01 | 1416.74 | 1051.86 | 1045.13 |
| रंगित एचपीएस | हाइड्रो | 60.00 | 347.14 | 345.91 | 349.09 | 263.86 |
| सलाल एचपीएस | हाइड्रो | 690.00 | 3423.09 | 3247.09 | 3412.55 | 3144.98 |
| सेवा-II एचपीएस | हाइड्रो | 120.00 | 470.61 | 506.39 | 498.32 | 396.47 |
| टनकपुर एचपीएस | हाइड्रो | 94.20 | 430.29 | 459.74 | 452.89 | 412.20 |
| तीस्ता लो डैम-III एचपीएस | हाइड्रो | 132.00 | 553.87 | 386.87 | 572.06 | 487.25 |
| तीस्ता लो डैम-IV एचपीएस | हाइड्रो | 160.00 | 602.53 | 495.15 | 708.45 | 612.91 |
| तीस्ता-V एचपीएस | हाइड्रो | 510.00 | 2773.46 | 2818.78 | 2701.46 | 2308.07 |
| टिहरी स्टे.-1 एचपीएस | हाइड्रो | 1000.00 | 3146.32 | 3080.94 | 3172.08 | 1821.89 |
| तुरियल एचपीएस | हाइड्रो | 60.00 | - | 78.37 | 168.44 | 101.91 |
| उड़ी-I एचपीएस | हाइड्रो | 480.00 | 2803.10 | 2349.66 | 3048.29 | 1991.40 |
| उड़ी-II एचपीएस | हाइड्रो | 240.00 | 1471.94 | 1207.44 | 1580.92 | 1039.11 |
| राजीव गांधी सीसीपीपी (लिक्वि.) | नाप्या | 359.58 | 15.40 | 4.19 | 0.81 | 0.00 |
| सकल जोड़ | | 89864.63 | 433744.17 | 449512.26 | 461125.37 | 276528.20 |

* वास्तविक-सह-मूल्यांकन पर आधारित अनंतिम

1. सकल उत्पादन परंपरागत स्रोतों (ताप विद्युत, जल विद्युत और न्यूक्लियर) के केवल 25 मेगावाट और उससे अधिक के स्टेशनों से है।

लोक सभा में दिनांक 21.11.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 747 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2018-19 और चालू वर्ष 2019-20 (सितंबर, 2019 तक) के लिए सीपीएसयू स्टेशनों के नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन आंकड़ों का ब्यौरा

| 2018-19 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन आंकड़े (सीपीएसयू-वार) | | | | |
|---|----------------|-------------------------------|----------------|---|
| सीपीएसयू का नाम | राज्य का नाम | संस्थापित क्षमता (मेगावाट) | स्रोत | (सभी आंकड़े एमयू में) वित्तीय वर्ष 2018-19 |
| एनटीपीसी | | | | |
| एनटीपीसी फरीदाबाद सौर | हरियाणा | 5 | सौर | 6.54 |
| एनटीपीसी भदला | राजस्थान | 260 | सौर | 450.22 |
| एनटीपीसी दादरी सौर | उत्तर प्रदेश | 5 | सौर | 6.41 |
| एनटीपीसी ऊंचाहार सौर | उत्तर प्रदेश | 10 | सौर | 15.12 |
| एनटीपीसी सिंगरौली सौर | उत्तर प्रदेश | 15 | सौर | 21.87 |
| एनटीपीसी सिंगरौली एसएच | उत्तर प्रदेश | 8 | लघु जल विद्युत | 13.63 |
| एनटीपीसी रोजमल | गुजरात | 50 | पवन | 97.59 |
| एनटीपीसी राजगढ़ सौर | मध्य प्रदेश | 50 | सौर | 78.93 |
| एनटीपीसी मंदसौर | मध्य प्रदेश | 250 | सौर | 390.06 |
| एनटीपीसी अनंतपुरम | आंध्र प्रदेश | 250 | सौर | 420.16 |
| एनटीपीसी रामगुंडम | तेलंगाना | 10 | सौर | 14.94 |
| एनटीपीसी अंडमान निकोबार | अंडमान निकोबार | 5 | सौर | 5.98 |
| एनटीपीसी तालचर सौर | ओडिशा | 10 | सौर | 14.03 |
| कुल (एनटीपीसी) | | 928 | | 1535.48 |
| ऑयल इंडिया लि. | | | | |
| ऑयल इंडिया लि. | राजस्थान | 14 | सौर | 25.15 |
| ऑयल इंडिया लि. | राजस्थान | 67.6 | पवन | 80.86 |
| ऑयल इंडिया लि. | गुजरात | 43.3 | पवन | 103.98 |
| ऑयल इंडिया लि. | मध्य प्रदेश | 63.2 | पवन | 137.48 |
| कुल (ऑयल इंडिया लि.) | | 188.1 | | 347.47 |
| नीपको | | | | |
| नीपको | त्रिपुरा | 5 | सौर | 7.14 |
| नीपको | असम | 25 | लघु जल विद्युत | 31.96 |
| कुल (नीपको) | | 30 | | 39.10 |
| डीवीसी | | | | |
| कुल (डीवीसी) | | | | 12.59 |
| अखिल भारत कुल | | 1146.10 | | 1934.63 |

| माह अप्रैल से सितंबर, 2019 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन आंकड़े (सीपीएसयू-वार) | | | | |
|--|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| सीपीएसयू का नाम | राज्य का नाम | संस्थापित क्षमता (मेगावाट) | स्रोत | अप्रैल से सितंबर, 2019 (एमयू) |
| एनटीपीसी | | | | |
| एनटीपीसी फरीदाबाद सौर | हरियाणा | 5 | सौर | 3.55 |
| एनटीपीसी भदला | राजस्थान | 260 | सौर | 225.28 |
| एनटीपीसी दादरी सौर | उत्तर प्रदेश | 5 | सौर | 3.39 |
| एनटीपीसी ऊंचाहार सौर | उत्तर प्रदेश | 10 | सौर | 7.58 |
| एनटीपीसी सिंगरौली सौर | उत्तर प्रदेश | 15 | सौर | 10.50 |
| एनटीपीसी सिंगरौली एसएच | उत्तर प्रदेश | 8 | लघु जल विद्युत | 7.60 |
| एनटीपीसी रोजमल | गुजरात | 50 | पवन | 68.60 |
| एनटीपीसी राजगढ़ सौर | मध्य प्रदेश | 50 | सौर | 36.62 |
| एनटीपीसी मंदसौर | मध्य प्रदेश | 250 | सौर | 181.42 |
| एनटीपीसी अनंतपुरम | आंध्र प्रदेश | 250 | सौर | 194.51 |
| एनटीपीसी रामागुंडम | तेलंगाना | 10 | सौर | 6.69 |
| एनटीपीसी अंडमान निकोबार | अंडमान निकोबार | 5 | सौर | 2.47 |
| एनटीपीसी तालचर सौर | ओडिशा | 10 | सौर | 6.70 |
| कुल (एनटीपीसी) | | 928 | | 754.91 |
| टीएचडीसी | | | | |
| टीएचडीसी पटन पवन विद्युत परियोजना | गुजरात | 50 | पवन | 66.86 |
| टीएचडीसी देवभूमि द्वारका पवन विद्युत परियोजना | गुजरात | 63 | पवन | 98.69 |
| कुल (टीएचडीसी) | | 113 | | 165.55 |
| एनएचपीसी | | | | |
| एनएचपीसी पवन विद्युत परियोजना | राजस्थान | 50 | पवन | 19.31 |
| एनएचपीसी सौर विद्युत परियोजना | तमिलनाडु | 50 | सौर | 22.10 |
| कुल (एनएचपीसी) | | 100 | | 41.41 |
| ओएनजीसी | | | | |
| ओएनजीसी पवन, भुज | गुजरात | 51 | पवन | 17.87 |
| ओएनजीसी पवन, जैसलमेर | राजस्थान | 102 | पवन | 82.13 |
| ओएनजीसी सौर, गोवा | गोवा | 1 | सौर | 0.50 |
| कुल (ओएनजीसी) | | 154 | | 100.49 |
| एसजेवीएन लिमिटेड | | | | |
| खिरवीरे पवन विद्युत | महाराष्ट्र | 47.6 | पवन | 45.43 |
| सदला पवन विद्युत | गुजरात | 50 | सौर | 51.28 |
| चरंका सौर विद्युत | गुजरात | 5.6 | सौर | 2.75 |
| कुल (एसजेवीएन) | | 103.2 | | 99.46 |
| ऑयल इंडिया लि. | | | | |
| ऑयल इंडिया लि. | राजस्थान | 14 | सौर | 10.73 |
| ऑयल इंडिया लि. | राजस्थान | 67.6 | पवन | 42.04 |
| ऑयल इंडिया लि. | गुजरात | 43.3 | पवन | 60.50 |
| ऑयल इंडिया लि. | मध्य प्रदेश | 63.2 | पवन | 82.24 |
| कुल (ऑयल इंडिया लि.) | | 188.1 | | 195.52 |
| नीपको | | | | |
| कुल (नीपको) | त्रिपुरा | 5 | सौर | 3.49 |
| अखिल भारत कुल | | 1591.30 | | 1360.83 |

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 21.11.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 747 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार वर्ष (2016-17) के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से विद्युत के आबंटन का ब्यौरा

केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से राज्यों को कुल हिस्से का ब्यौरा

(31-03-2017 की स्थिति के अनुसार)

| क्रम सं | क्षेत्र/राज्य | फर्म विद्युत | अनाबंटित (यू.ए.) विद्युत | | | सीजीएस से कुल मेगावाट हिस्सेदारी |
|---------|------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | सीजीएस से फर्म शेयर (मेगावाट) | क्षेत्रीय पूल से अनाबंटित विद्युत (मेगावाट) | अन्य क्षेत्र/भूटान से आवंटन (मेगावाट) | अनाबंटित बिजली का कुल आवंटन (मेगावाट) | |
| 1 | चंडीगढ़ | 156 | 76 | 14 | 90 | 246 |
| 2 | दिल्ली | 4785 | 0 | 30 | 30 | 4815 |
| 3 | हरियाणा | 2538 | 0 | 15 | 15 | 2553 |
| 4 | हिमाचल प्रदेश | 1467 | 15 | 0 | 15 | 1482 |
| 5 | जम्मू और कश्मीर | 1633 | 455 | 118 | 573 | 2206 |
| 6 | पंजाब | 2214 | 37 | 30 | 67 | 2281 |
| 7 | राजस्थान | 2617 | 518 | 52 | 570 | 3187 |
| 8 | उत्तर प्रदेश | 5669 | 820 | 60 | 880 | 6549 |
| 9 | उत्तराखंड | 876 | 164 | 0 | 164 | 1040 |
| 10 | रेलवे | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| 11 | पावर ग्रिड | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| | उत्तरी क्षेत्र | 21959 | 2189 | 319 | 2508 | 24467 |
| 12 | छत्तीसगढ़ | 1199 | 25 | 0 | 25 | 1224 |
| 13 | गुजरात | 3848 | 0 | 0 | 0 | 3848 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 4514 | 519 | 0 | 519 | 5033 |
| 15 | महाराष्ट्र | 6053 | 610 | 0 | 610 | 6663 |
| 16 | दमन और दीव | 164 | 142 | 0 | 142 | 306 |
| 17 | दादर नगर हवेली | 229 | 682 | 0 | 682 | 911 |
| 18 | गोवा | 482 | 31 | 0 | 31 | 513 |
| 19 | पावर ग्रिड | 2.72 | 3 | 0 | 3 | 6.00 |
| 20 | रेलवे डब्ल्यूआर | 570 | 0 | 0 | 0 | 570 |
| 21 | डीएई का एचडब्ल्यूपी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | बीएआरसी सुविधाएं | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| | पश्चिमी क्षेत्र | 17062 | 2022 | 0 | 2022 | 19083 |
| 23 | आंध्र प्रदेश | 1801 | 135 | 0 | 135 | 1936 |
| 24 | कर्नाटक | 2327 | 565 | 0 | 565 | 2893 |
| 25 | केरल | 1760 | 215 | 0 | 215 | 1975 |
| 26 | तमिलनाडु | 5638 | 589 | 0 | 589 | 6227 |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| 27 | तेलंगाना | 1871 | 214 | 0 | 214 | 2085 |
| 28 | पांडिचेरी | 334 | 148 | 0 | 148 | 483 |
| 29 | एनएलसी | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 30 | पावर ग्रिड | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| | दक्षिणी क्षेत्र | 13831 | 1873 | 0 | 1873 | 15704 |
| 31 | बिहार | 2664 | 574 | 12 | 586 | 3250 |
| 32 | डीवीसी | 6468 | 42 | 8 | 50 | 6518 |
| 33 | झारखंड | 484 | 142 | 5 | 147 | 631 |
| 34 | ओडिशा | 1771 | 71 | 6 | 77 | 1848 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 1465 | 65 | 18 | 83 | 1548 |
| 36 | सिक्किम | 153 | 15 | 1 | 16 | 169 |
| 37 | रेलवे | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 38 | पावर ग्रिड | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | पूर्वी क्षेत्र | 13230 | 910 | 50 | 960 | 14190 |
| 39 | अरुणाचल प्रदेश | 156 | 3 | 9 | 12 | 168 |
| 40 | असम | 912 | 100 | 148 | 248 | 1160 |
| 41 | मणिपुर | 176 | 23 | 0 | 23 | 199 |
| 42 | मेघालय | 190 | 69 | 0 | 69 | 259 |
| 43 | मिजोरम | 85 | 19 | 8 | 27 | 112 |
| 44 | नागालैंड | 113 | 10 | 1 | 11 | 124 |
| 45 | त्रिपुरा | 383 | 2 | 0 | 2 | 385 |
| 46 | पावर ग्रिड | 2.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.5 |
| | उत्तर-पूर्वी क्षेत्र | 2016 | 228 | 166 | 394 | 2410 |
| | कुल जोड़ | 68098 | 7222 | 535 | 7757 | 75855 |

टिप्पणी :

1. फर्म शेयर में समर्पित केंद्रीय स्टेशनों की क्षमता, मर्चेट पावर (पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में प्रत्येक में 75 मेगावाट) और क्षेत्र के भीतर / बाहर स्थित अन्य स्टेशनों से आवंटित / डाइवर्टेड क्षमता शामिल हैं ।
2. अनावंटित पावर का उपरोक्त आवंटन शाम के पीक घंटों के लिए ही है (डब्ल्यूआर, एसआर और एनईआर के लिए 18-22 घंटे, ईआर के लिए 19-22 घंटे और एनआर के लिए 18-23 घंटे)। ऑफ-पीक घंटों के दौरान आवंटन भिन्न हो सकते हैं।
3. उपरोक्त आवंटन में बांग्लादेश को आवंटित पावर शामिल नहीं है। बांग्लादेश को आवंटित कुल पावर = 250 मेगावाट (एन.टी.पी.सी. स्टेशनों के अनावंटित पावर से - उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में से प्रत्येक से 100 मेगावाट और पूर्वी क्षेत्र से 50 मेगावाट)

अनुबंध-IV

लोक सभा में दिनांक 21.11.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 747 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

31.03.2018 की स्थिति के अनुसार वर्ष (2017-18) के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से विद्युत के आबंटन का ब्यौरा

केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से राज्यों के कुल हिस्से का ब्यौरा

(31-03-2018 की स्थिति के अनुसार)

| क्रम सं | क्षेत्र/राज्य | फर्म विद्युत | अनाबंटित (यू.ए.) विद्युत | | | सीजीएस से कुल मेगावाट हिस्सेदारी |
|---------|------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | सीजीएस से फर्म शेयर (मेगावाट) | क्षेत्रीय पूल से अनाबंटित विद्युत (मेगावाट) | अन्य क्षेत्र/भूटान से आवंटन (मेगावाट) | अनाबंटित बिजली का कुल आवंटन (मेगावाट) | |
| 1 | चंडीगढ़ | 160 | 106 | 14 | 120 | 280 |
| 2 | दिल्ली | 4814 | 0 | 30 | 30 | 4844 |
| 3 | हरियाणा | 2576 | 0 | 15 | 15 | 2591 |
| 4 | हिमाचल प्रदेश | 1489 | 15 | 0 | 15 | 1504 |
| 5 | जम्मू एवं कश्मीर | 1688 | 863 | 118 | 981 | 2669 |
| 6 | पंजाब | 2214 | 37 | 30 | 67 | 2281 |
| 7 | राजस्थान | 2693 | 635 | 52 | 687 | 3380 |
| 8 | उत्तर प्रदेश | 5845 | 435 | 60 | 495 | 6340 |
| 9 | उत्तराखंड | 907 | 170 | 0 | 170 | 1077 |
| 10 | रेलवे | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | पावरग्रिड | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| | उत्तरी क्षेत्र | 22390 | 2265 | 319 | 2584 | 24974 |
| 12 | छत्तीसगढ़ | 1322 | 25 | 0 | 25 | 1347 |
| 13 | गुजरात | 3995 | 0 | 0 | 0 | 3995 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 4768 | 413 | 0 | 413 | 5181 |
| 15 | महाराष्ट्र | 6641 | 382 | 0 | 382 | 7023 |
| 16 | दमन व दीव | 174 | 144 | 0 | 144 | 318 |
| 17 | दादरा व नगर हवेली | 244 | 707 | 0 | 707 | 951 |
| 18 | गोवा | 497 | 81 | 0 | 81 | 578 |
| 19 | पावरग्रिड | 2.72 | 3 | 0 | 3 | 6.00 |
| 20 | रेलवे डब्लू आर | 540 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| 21 | डीएई का एचडब्ल्यूपी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | बीएआरसी सुविधाएं | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| | पश्चिमी क्षेत्र | 18184 | 1765 | 0 | 1765 | 19948 |
| 23 | आंध्र प्रदेश | 1935 | 586 | 0 | 586 | 2521 |
| 24 | कर्नाटक | 3127 | 801 | 0 | 801 | 3929 |
| 25 | केरल | 1830 | 214 | 0 | 214 | 2045 |
| 26 | तमिलनाडु | 5838 | 481 | 0 | 481 | 6319 |
| 27 | तेलंगाना | 2027 | 381 | 0 | 381 | 2408 |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| 28 | पांडिचेरी | 334 | 149 | 0 | 149 | 483 |
| 29 | एनएलसी | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 30 | पावर ग्रिड | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| | दक्षिणी क्षेत्र | 15191 | 2619 | 0 | 2619 | 17810 |
| 31 | बिहार | 2902 | 604 | 12 | 616 | 3518 |
| 32 | डीवीसी | 6478 | 8 | 8 | 16 | 6494 |
| 33 | झारखंड | 596 | 138 | 5 | 143 | 739 |
| 34 | ओडिशा | 1801 | 77 | 6 | 83 | 1884 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 1499 | 86 | 18 | 104 | 1603 |
| 36 | सिक्किम | 156 | 12 | 1 | 13 | 169 |
| 37 | रेलवे | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 38 | पावर ग्रिड | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | पूर्वी क्षेत्र | 13882 | 927 | 50 | 977 | 14859 |
| 39 | अरुणाचल प्रदेश | 169 | 3 | 9 | 12 | 181 |
| 40 | असम | 1039 | 117 | 148 | 265 | 1304 |
| 41 | मणिपुर | 191 | 27 | 0 | 27 | 218 |
| 42 | मेघालय | 207 | 82 | 0 | 82 | 289 |
| 43 | मिजोरम | 95 | 23 | 8 | 31 | 126 |
| 44 | नागालैंड | 123 | 11 | 1 | 12 | 136 |
| 45 | त्रिपुरा | 402 | 2 | 0 | 2 | 404 |
| 46 | पावर ग्रिड | 2.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.5 |
| | उत्तर-पूर्वी क्षेत्र | 2229 | 265 | 166 | 431 | 2659 |
| | कुल जोड़ | 71876 | 7840 | 535 | 8375 | 80251 |

टिप्पणी:

1. फर्म शेयर में समर्पित केंद्रीय स्टेशनों की क्षमता, मर्चेट पावर (पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में प्रत्येक में 75 मेगावाट) और क्षेत्र के भीतर/बाहर स्थित अन्य स्टेशनों से आवंटित/डाइवर्टेड क्षमता शामिल हैं ।
2. अनावंटित पावर का उपरोक्त आवंटन शाम के पीक घंटों के लिए ही है (डब्ल्यूआर, एसआर और एनईआर के लिए 18-22 घंटे, ईआर के लिए 19-22 घंटे और एनआर के लिए 18-23 घंटे)। ऑफ-पीक घंटों के दौरान आबंटन भिन्न हो सकते हैं।
3. उपरोक्त आवंटन में बांग्लादेश को आवंटित पावर शामिल नहीं है। बांग्लादेश को आवंटित कुल पावर = 250 मेगावाट (एन.टी.पी.सी. स्टेशनों के अनावंटित पावर से - उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में से प्रत्येक से 100 मेगावाट और पूर्वी क्षेत्र से 50 मेगावाट)

अनुबंध-V

लोक सभा में दिनांक 21.11.2019 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 747 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार वर्ष (2018-19) के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से विद्युत के आबंटन का ब्यौरा

केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से राज्यों को कुल हिस्से का ब्यौरा

(31-03-2019 की स्थिति के अनुसार)

| क्रम सं. | क्षेत्र/राज्य | फर्म विद्युत सीजीएस से फर्म का हिस्सा (मेगावाट) | अनाबंटित (यूए) विद्युत | | | सीजीएस से कुल मेगावाट हिस्सा कुल |
|----------|------------------------|---|--|--|---|--|
| | | | क्षेत्रीय पूल से अनाबंटित विद्युत (मेगावाट) | अन्य क्षेत्र/भूटान से आबंटन (मेगावाट) | अनाबंटित विद्युत का कुल आबंटन (मेगावाट) | |
| 1 | चंडीगढ़ | 160 | 96 | 14 | 110 | 271 |
| 2 | दिल्ली | 4078 | 0 | 30 | 30 | 4108 |
| 3 | हरियाणा | 2576 | 0 | 15 | 15 | 2591 |
| 4 | हिमाचल प्रदेश | 1467 | 15 | 0 | 15 | 1482 |
| 5 | जम्मू और कश्मीर | 1776 | 645 | 118 | 763 | 2539 |
| 6 | पंजाब | 2111 | 37 | 30 | 67 | 2178 |
| 7 | राजस्थान | 2693 | 635 | 52 | 687 | 3380 |
| 8 | उत्तर प्रदेश | 6033 | 660 | 100 | 760 | 6793 |
| 9 | उत्तराखंड | 907 | 182 | 0 | 182 | 1089 |
| 10 | रेलवे | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | पावर ग्रिड | 7 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| | उत्तरी क्षेत्र | 21808 | 2275 | 359 | 2634 | 24442 |
| 12 | छत्तीसगढ़ | 1501 | 25 | 0 | 25 | 1526 |
| 13 | गुजरात | 3995 | 0 | 0 | 0 | 3995 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 4873 | 404 | 40 | 444 | 5317 |
| 15 | महाराष्ट्र | 6949 | 329 | 0 | 329 | 7278 |
| 16 | दमन और दीव | 181 | 145 | 0 | 145 | 326 |
| 17 | दादर नगर हवेली | 255 | 724 | 0 | 724 | 979 |
| 18 | गोवा | 504 | 99 | 0 | 99 | 604 |
| 19 | पावर ग्रिड | 5.44 | 3 | 0 | 3 | 8.72 |
| 20 | रेलवे डब्ल्यूआर | 540 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| 21 | डीएई का एचडब्ल्यूपी | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 |
| 22 | बीएआरसी सुविधारण | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| | पश्चिमी क्षेत्र | 18805 | 1754 | 40 | 1794 | 20598 |
| 23 | आंध्र प्रदेश | 2002 | 517 | 75 | 592 | 2594 |
| 24 | कर्नाटक | 3527 | 582 | 300 | 882 | 4409 |
| 25 | केरल | 1865 | 221 | 0 | 221 | 2086 |
| 26 | तमिलनाडु | 5938 | 499 | 0 | 499 | 6436 |
| 27 | तेलंगाना | 2105 | 221 | 200 | 421 | 2525 |
| 28 | पांडिचेरी | 334 | 189 | 0 | 189 | 523 |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 29 | एनएलसी | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 30 | पावर ग्रिड | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| | दक्षिणी क्षेत्र | 15871 | 2234 | 575 | 2809 | 18680 |
| 31 | बिहार | 3068 | 629 | 12 | 641 | 3709 |
| 32 | डीवीसी | 6445 | 8 | 8 | 16 | 6461 |
| 33 | झारखंड | 596 | 138 | 5 | 143 | 739 |
| 34 | ओडिशा | 1635 | 77 | 6 | 83 | 1718 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 1765 | 86 | 18 | 104 | 1869 |
| 36 | सिक्किम | 156 | 12 | 1 | 13 | 169 |
| 37 | रेलवे | 675 | 0 | 0 | 0 | 675 |
| 38 | पावर ग्रिड | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | पूर्वी क्षेत्र | 14340 | 952 | 50 | 1002 | 15342 |
| 39 | अरुणाचल प्रदेश | 219 | 4 | 7 | 11 | 230 |
| 40 | असम | 1116 | 124 | 139 | 263 | 1379 |
| 41 | मणिपुर | 199 | 28 | 0 | 28 | 227 |
| 42 | मेघालय | 217 | 87 | 0 | 87 | 304 |
| 43 | मिजोरम | 160 | 24 | 5 | 29 | 189 |
| 44 | नागालैंड | 129 | 12 | 15 | 27 | 156 |
| 45 | त्रिपुरा | 446 | 2 | 0 | 2 | 448 |
| 46 | पावर ग्रिड | 2.5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2.5 |
| | उत्तर-पूर्वी क्षेत्र | 2488 | 281 | 166 | 447 | 2935 |
| | कुल जोड़ | 73312 | 7496 | 1190 | 8686 | 81997 |

टिप्पणी :

1. फर्म शेयर में समर्पित केंद्रीय स्टेशनों की क्षमता, मर्चेट पावर (पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में प्रत्येक में 75 मेगावाट) और क्षेत्र के भीतर / बाहर स्थित अन्य स्टेशनों से आवंटित/डाइवर्टेड क्षमता शामिल हैं ।
2. अनावंटित पावर का उपरोक्त आवंटन शाम के पीक घंटों के लिए ही है (डब्ल्यूआर, एसआर और एनईआर के लिए 18-22 घंटे, ईआर के लिए 19-22 घंटे और एनआर के लिए 18-23 घंटे)। ऑफ-पीक घंटों के दौरान आबंटन भिन्न हो सकते हैं।
3. उपरोक्त आवंटन में बांग्लादेश को आवंटित पावर शामिल नहीं है। बांग्लादेश को आवंटित कुल पावर = 250 मेगावाट (एन.टी.पी.सी. स्टेशनों के अनावंटित पावर से - उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में से प्रत्येक से 100 मेगावाट और पूर्वी क्षेत्र से 50 मेगावाट)
